न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

मुकदमा संख्या 31 / 2020, जीसीएमएस. न. 2020 / 00075
प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर0टी0 एक्ट
निर्णय दिनांक 16.03.2021

1. कृष्णा अवतार पुत्र लख्मीचंद माता सुफेदी जाति जाट निवासी नंगला धरसौनी तहसील वैर जिला भरतपुर
2. वृजवालासिंह पुत्र मानसिंह जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

:— प्रार्थीगण

बनाम

1. जगवीर पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. राजवीर पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. सत्यवीर पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. उदयवीर पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
5. बच्चूसिंह पुत्र श्यामसिंह पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामंदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
6. कुँवरसिंह पुत्र दीवानसिंह पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
7. हरबक्स पुत्र नत्थी जाति वैरागी पिता गजेन्द्र जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
8. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
9. श्रीमान सब रजिस्टार महोदय लखनपुर

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री रामकिशन पूनिया एडवोकेट—प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी मुकदमा न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है, जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह कि हाल आराजी खाता सं. [illegible] 2119 रकवा 0.27, 2120 रकवा 0.27, 2122 रकवा 0.30 किता 3 रकवा 0.94 [illegible] खसरा नम्बर 205 के आराजी खसरा नम्बर 2045 रकवा 0.18, [illegible] 2050 रकवा 0.14, 2051 रकवा 0.14, 2140 रकवा 0.24, 2143 रकवा 0.33 [illegible] 7 रकवा 1.64 हैक्टर [illegible] आराजी खसरा नम्बर 204 के आराजी खसरा नम्बर 2046 रकवा [illegible]15, 2052 रकवा 0.05 [illegible] रकवा 0.05, 2142 रकवा 0.30 किता 4 रकवा 0.55 व आराजी खाता सं. 203 के आराजी खसरा नम्बर 2049 रकवा 0.10 2121 रकवा 0.24, 2138 रकवा 0.14,2139 रकवा 1.10, 2144 रकवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

0.28 2145 रकवा 0.29, किता 6 रकवा 1.15 हैक्ट. व आराजी खाता सं. 983 के आराजी
खसरा नम्बर 2127 रकवा 0.40 , 2126 रकवा 0.20 व आराजी खाता सं. 984 के आराजी
खसरा नम्बर 2123 रकवा 0.25 2124 रकवा 0.13, 2125 रकवा 0.08, 2126 रकवा 0.06, 2137
रकवा 0.14, 2141 रकवा 0.10 किता 6 रकवा 0.88 वाकेग्राम बछामदी तहसील नदवई में
स्थित है। नकल जमाबंदी सं. 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है।

3. यह कि मद सं. 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी है। जिसपर मनवट से हिस्सेनुसार काबिज काश्त है।

4. यह कि मद सं. 2 वर्णित आराजी प्रार्थी सं. 1 की माता व प्रतिवादी सं. 18 ल. 22 की सास व दादी का देहांत हो गया है। जिसके प्रार्थी सं. 1 प्रतिवादी सं. 18 ल. 22 वारिस है। प्रार्थी सं. 1 प्रतिवादी सं. 18 लगायत 22 का विरासत का सजरा निम्न प्रकार से है।

सुफेदी

अशोक फौत — यदुराजसिंह फौत — सुभाषचंद — कृष्णअवतार

गायत्री पत्नि — हिमांशु पुत्री — गौरी पुत्री — सुमन पत्नि — चर्चिल पुत्र

मद सं. 2 में वर्णित आराजी की खातेदार सुफेदी का इंतकाल हो गया है। जिसके वारिस मृतक अशोक मृतक यदुराज एवं सुभाषचंद व कृष्ण अवतार है। सुफेदी इनक चारस माता है। तथा अशोक मृतक के वारिस पत्नि गायत्री व पुत्री हिमांशु एवं गौरी है। तथा मृतक यदुराज के वारिसा पत्नि सुमन एवं पुत्र चर्चिल है। जो कि सुफेदी के विधिक वारिस है।

5. यह कि मद सं. 2 में वर्णित आराजी जो कि मृतक सुफेदी के नामवली आ रही है। के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर विरासत का वारिसान होने के नाते अपने नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करा पाने अधिकारी है तथा अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के कुरेजात करा पाने के अधिकारी है।

6. यह कि मद सं. 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें डौरमैड लगान आदि पर झगडा बना रहता है। तथा अब सम्मिलित काश्त करना संभव नही रहा हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थी विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थी [illegible] उनके रिकार्ड में अंकित हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी [illegible] राज [illegible] के व सड़क के नजदीक आराजी में वा हिस्सा बराबर के अलग अलग [illegible] करा पाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:26 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 8 द्वारा प्रार्थी [illegible] को व मुकाम ग्राम बछामदी तहसील नदबई पर प्रार्थीगण को दिनांक 11.06.2020 को य[illegible]लानियां धमकी दी है कि वह विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को रहन वय मुन्तकिल कर देंगे । व प्रार्थी को प्रार्थी आराजी से बेदखल करके रहेगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार

...क कलक्टर एवं
...पालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

प्राप्त नही है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

8. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी में मद खलमत न करें रहन वय मुन्ताकिल न करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। शपथ पत्र पेश हैं

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री रामकिशन भूनिया एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 10 की तलवी जरिये रजिस्टर्ड एण्डी से कराई गयी। प्रतिवादी स. 1 लगायत 10 तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत कि गई।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2073 – 2076 वाके बछामंदी, तहसील नदबई पेश कि गई। नकल मृत्यु प्रमाण फोटो प्रति सुफेदी , नकल फोटां प्रति सजरा ग्राम पचायत बछामदी पेश किये गये।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया। तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया किः—

1. प्राईमाफेसी केस— प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88 ,89, 53, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित हाल आराजी खाता सं. 1077 के आराजी खसरा नम्बर 2119 रकवा 0.27, 2120 रकवा 0.27, 2122 रकवा 0.30 किता 3 रकवा 0.94 व आराजी खसरा नम्बर 205 के आराजी खसरा नम्बर 2045 रकवा 0.18, 2047 रकवा 0.26, 2048 रकवा 0.35, 2050 रकवा 0.14, 2051 रकवा 0.14, 2140 रकवा 0.24, 2143 रकवा 0.33, किता 7 रकवा 1.64 हैक्ट. व आराजी खसरा नम्बर 204 के आराजी खसरा नम्बर 2046 रकवा 0.15, 2052 रकवा 0.05, 2053 रकवा 0.05, 2142 रकवा 0.30 किता 4 रकवा 0.55 व आराजी खाता सं. 203 के आराजी खसरा नम्बर 2049 रकवा 0.10 2121 रकवा 0.24, 2138 रकवा 0.14,2139 रकवा 1.10, 2144 रकवा 0.28 2145 रकवा 0.29, किता 6 रकवा 1.15 हैक्ट. व आराजी खाता सं. 983 के आराजी खसरा नम्बर 2127 रकवा 0.40 , 2126 रकवा 0.20 व आराजी खाता सं. 984 के आराजी खसरा नम्बर 2123 रकवा 0.25 2124 रकवा 0.13, 2125 रकवा 0.08, 2126 रकवा 0.06, 2137 रकवा 0.14, 2141 ... किता 6 रकवा 0.88 वाकेग्राम बछामदी तहसील नदबई में स्थित है। जो कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी का रकवा है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है जो कि मौके पर ... प्राप्त है। तथा आराजी का अब तक बॅटवारा विधिक रूप से नही हुआ है प्रार्थी व अप्रार्थीगण कब्जे काश्त को लकर आपस में बनाजा रहता है। इसलिये जब तक कानूनी रूप से बंटवारा नही हो तब तक प्रत्येक खातेदार का हर इन्च पर अपना अधिकार माना जाता हैं । विवादित आराजी में बाबत वाद में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर कुरेंजात रिपोर्ट न्यायालय मंगवायेगा तब तक आरजीयात की दावे के निस्तारण तक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:26 IST
Reason: SelfAttested

...यक कलक्टर एवं
...पालक मजिस्ट्रेट
...ई (भरतपुर) राज.

रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। अन्यथा ऐसी स्थिति में विवादित आराजी को बेचान व रहनबय हो सकता है तथा अजवनी पक्षकार मुकदमा में बनेगे तथा दावे के निस्तारण में रूकावट पैदा होगी। अतः प्राईमाफेसी केस सुविधा का सन्तुलन अपरमित क्षति प्रार्थी के हक में है।
2. सुविधा का सतुलन –सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है।
3.अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द नही किया जाता है विवादित आराजीयात का खुर्द बुर्द होने का अन्देशा रहेगा जो अजीम क्षति भी प्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। अतः आदेश है कि हाल आराजी खाता सं. 1077 के आराजी खसरा नम्बर 2119 रकवा 0.27, 2120 रकवा 0.27, 2122 रकवा 0.30 किता 3 रकवा 0.94 व आराजी खसरा नम्बर 205 के आराजी खसरा नम्बर 2045 रकवा 0.18, 2047 रकवा 0.26, 2048 रकवा 0.35, 2050 रकवा 0.14, 2051 रकवा 0.14, 2140 रकवा 0.24, 2143 रकवा 0.33, किता 7 रकवा 1.64 हैक्ट. व आराजी खसरा नम्बर 204 के आराजी खसरा नम्बर 2046 रकवा 0.15, 2052 रकवा 0.05, 2053 रकवा 0.05, 2142 रकवा 0.30 किता 4 रकवा 0.55 व आराजी खाता सं. 203 के आराजी खसरा नम्बर 2049 रकवा 0.10 2121 रकवा 0.24, 2138 रकवा 0.14, 2139 रकवा 0.10, 2144 रकवा 0.28 2145 रकवा 0.29, किता 6 रकवा 1.15 हैक्ट. व आराजी खाता सं. 983 के आराजी खसरा नम्बर 2127 रकवा 0.40 , 2126 रकवा 0.20 व आराजी खाता सं. 984 के आराजी खसरा नम्बर 2123 रकवा 0.25, 2124 रकवा 0.13, 2125 रकवा 0.08, 2126 रकवा 0.06, 2137 रकवा 0.14, 2141 रकवा 0.10 किता 6 रकवा 0.88 वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई पर अप्रार्थीगण दावे के निस्तारण तक विवादित आराजी की रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाऐ रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो कर अभिलेखागार हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:29:26 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.